

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

## भाग ४

### विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

## भाग ४ (क)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ख)

### मध्यप्रदेश अधिनियम

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2012

क्र. 3440-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 23 अप्रैल, सन् 2012 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2012) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :—

### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वह शब्द, आए हैं	शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं	
(1)	(2)	(3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
सम्मिलित है	412(3)	16	सम्मिलित हैं
उपलब्धों	412(4)	32	उपबंधों

(1)	(2)		(3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
मास की	412(5)	9	मास के
सम्मिलित हैं	412(9)	3	सम्मिलित हैं
बकाया लिए	412(9)	12	बकाया के लिए
मास से	412(9)	13	मास के
किरोदार	412(9)	17	किराएदार
परसर	412(10)	10	परिसर
करें	412(11)	36	करे
अपीलीय	412(13)	धारा 28 का पार्श्व शीर्ष	अपीली
संबद्ध	412(14)	10	संबद्ध
आनुषांगिक	412(14)	10	आनुषांगिक
अपीला	412(17)	3	अपीली
बांछा	412(17)	9	वांछा
Successor-in-terest;	412(24)	15	successor-in-interest.
Municipal Corporation Act,	412(24)	19-20	Municipalities Act,
Act;	412(24)	38	Act
(b) Sons/unmarried daughters, (c) parents	412(26)	41	(b) Sons/unmarried daughters, (c) parents
deceatased	412(26)	44	deceased
may file application	412(28)	14	may file an application
rent	412(30)	39	Rent
sutenant	412(31)	25	sub-tenant
Tribunal in the	412(34)	8 (marginal heading)	Tribunal in the transition period
Tribunal transition period	412(34)	12 (marginal heading)	Tribunal
shall be deemed to be	412(36)	1	shall deemed to be
196,	412(36)	3	196
in:	412(36)	31	in

राजेश यादव, अपर सचिव.

## भाग ४ ( ग )

## अन्तिम नियम

## वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ. 5(ए)-15-2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में,

- (1) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

## “अनुसूची

[नियम 6(1) देखिए]

## वर्गीकरण, वेतनमान एवं सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी.	78	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	18 पद संचालनालय कोष एवं लेखा में, प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 8 पद, संभागीय कार्यालय, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर में 01 अतिरिक्त पद.
2.	सहायक कोषालय अधिकारी	122	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	55 कोषालयों में, प्रत्येक में 2 पद, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं इन्दौर स्थित कोषालयों में 01 अतिरिक्त पद.
3.	उप कोषालय अधिकारी	96	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	96 बड़े उप कोषालयों में, प्रत्येक में 01 पद.
4.	व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण विद्यालय.	08	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	प्रत्येक लेखा प्रशिक्षण विद्यालय में 01 पद, लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, भोपाल में 01 अतिरिक्त पद.
5.	सहायक पेंशन अधिकारी	332	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	04 पद पेंशन संचालनालय हेतु प्रत्येक 50 जिला पेंशन कार्यालयों में 06 पद, प्रत्येक जिला पेंशन कार्यालय, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन तथा इन्दौर में 04 अतिरिक्त पद.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	प्रतिनियुक्ति आरक्षित कुल संवर्ग पदों का 5 प्रतिशत.	32	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	32 पद
7.	प्रशिक्षण आरक्षित कुल संवर्ग पदों का 3 प्रतिशत.	19	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	19 (संचालनालय, कोष एवं लेखा में)
8.	अवकाश आरक्षित कुल संवर्ग पदों का 2 प्रतिशत.	13	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	13 (संचालनालय, कोष एवं लेखा में)
<b>वाह्य संवर्ग पद</b>					
9.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	387	तृतीय-श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	9300—34800+ रु. 3200 ग्रेड पे.	335 (प्रत्येक जनपद पंचायत में 01) 52 (राज्य शासन के अधीन बी.सी.ओ/ डी.डी.ओ. कार्यालय हेतु.)”
		कुल पद . . .	1087		

(2) नियम 10 में, खण्ड ख “शैक्षणिक अर्हता” के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड ख “शैक्षणिक अर्हता” स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“ख” शैक्षणिक अर्हता:—

- (1) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.
- या
- (2) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंसी (इंटर)/ आई.सी.डब्ल्यू. ए. (इंटर) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्यानंद, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2012

क्र. एफ-5(ए)-15-2005-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(ए)-15-2005-ई-चार, दिनांक 21 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्यानंद, अपर सचिव.

Bhopal, the 21st June 2012

No. F-5(A)-15-2005-E-IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Accounts Service (recruitment and condition of Service) Rules, 1965 namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE  
[See Rule 6(1)]

**Classification, pay scales and No. of posts included in the service**

S. No.	Name of the Post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Internal Audit Officer	78	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	18 Posts in directorate of Treasury and Accounts, 08 Posts in each Divisional Office, additional 01 post in Divisional Offices at Bhopal, Gwalior, Jabalpur and Indore.
2.	Assistant Treasury Officer	122	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	02 Posts in each of the 55 Treasuries, 01 Additional post in Treasuries located at Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Sagar, Rewa, Ujjain and Indore.
3.	Sub Treasury Officer	96	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	01 Posts in each of the largest 96 sub treasuries.
4.	Lecturer Accounts Training School	08	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	01 Posts in each Accounts Training School, additional 01 post in Accounts Training School, Bhopal.
5.	Assistant Pension Officer	332	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	04 Posts for Pension Directorate, 06 Posts in each of the 50 Districts Pension Offices, Additional 04 posts each in District Pension Offices at Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Sagar, Rewa, Ujjain and Indore.
6.	Deputation Reserve 5% of Total Cadre Post.	32	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	32
7.	Training Reserve 3% of Total Cadre post	19	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	19 (At Directorate of Treasury and Accounts).
8.	Leave Reserve 2% of Total Cadre post	13	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	13 (At Directorate of Treasury and Accounts).
<b>Ex-cadre posts—</b>					
9.	Junior Accounts Officer	387	Class-III Non-Ministerial	9300—34800+ Rs. 3200 Grade pay	335 (01 in each Janpad Panchayat) 52 (For BCO/ DDO Offices under the State Government).”.
Total Posts . . .		1087			

- (2) In Rules 10, for clause B "Educational Qualification", the following clause B Educational Qualification shall be substituted namely:—

**"B" Educational Qualification:—**

- (1) The candidate must have passed Graduation or equivalent in Commerce/ Business Administration form any recognised University.
- or
- (2) The candidate must have passed Graduation in any discipline form recognised University and must have passed Chartered Accountancy (Inter)/I.C.W.A. (Inter)/Company Secretary (inter) examination.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SATYANAND, Addl. Secy.